प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01749/2020-2021

दिनांक 10/02/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/MOR/16591/2020-2021 पत्रावली संख्या:MBD-3606 दिनांक:1995-1996

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **न्यू मोर्डन पब्लिक स्कूल समिति, बेगम मार्केट करूला,, मुरादाबाद , 244001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 830/1995-96 दिनांक-27/01/1996 को दिनांक-27/01/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(BHUPENDRA KUMAR SINGH)
7288D213450079C7CBDE46733EACCFBED1DB18E4
Date: 10/02/2021 4:29:59 PM, Location: Moradabad.

जारी करने का दिनांक-10/02/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

न्यू मॉर्डन पब्लिक स्कूल समिति

मौहल्ला किसरौल निकट शुक्लो का कुंआ थाना नागफनी, मुरादाबाद।

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2023–24

क्र. सं.	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	कैसर आलम पुत्र स्व0 श्री गुलाम अहमद	रहीम मुल्ला वाली मस्जिद, किसरौल, मुरादाबाद।	अध्यक्ष	व्यापार
2	चमन पुत्र स्व0 श्री गुलाम अहमद	रहीमुल्ला वाली मस्जिद, किसरौल मुरादाबाद।	उपाध्यक्ष	व्यापार
3	ए0 आलम पुत्र स्व0 श्री गुलाम अहमद	मौहल्ला किसरौल निकट शुक्लो का कुंआ थाना नागफनी, मुरादाबाद।	प्रबन्धक / मंत्री	व्यापार
4	नाज आलम पुत्र स्व0 श्री गुलाम अहमद	रहीम मुल्ला वाली मस्जिद, किसरौल, मुरादाबाद।	उपप्रबन्धक	व्यापार
5	सिमरन अंसारी पुत्री श्री अनवर आलम अंसारी	मौहल्ला किसरौल निकट शुक्लो का कुंआ थाना नागफनी, मुरादाबाद।	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा
6	परवीन जहाँ पत्नी श्री अकील अहमद	म0नं0–138, तीसरी मंजिल पॉकेट–12 रोहिणी सेक्टर –20 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली–110086	लेखानिरीक्षक	गृहणी
7	श्रीमती महजबी पत्नी श्री मौ0 फहीम	दौलत बाग, मुरादाबाद।	सदस्य	गृहणी
8	लियाकत हुसैन पुत्र श्री शौकत हुसैन	मैडम वाली गली निकट मोलवी वाली गली बरबालान, सीतापुरी मुरादाबाद।	सदस्य	व्यापार
9	श्रीमती फरहीन पत्नी श्री ए0 आलम	मौहल्ला किसरौल निकट शुक्लो का कुंआ थाना नागफनी, मुरादाबाद।	सदस्य	गृहणी
10	नाहिद अख्तर पत्नी श्री मौ0 फैजान	लाल बाग गली नं0–2, मुरादाबाद।	सदस्य	गृहणी
11	मौ0 कैफ पुत्र श्री कैसर आलम	रहीम मुल्ला वाली मस्जिद, किसरौल, मुरादाबाद।	सदस्य	व्यापार

AAlam परवीन

फरहीन

Simran

महजबी

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
23/02/2024

संशोधित स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : न्यू मॉर्डन पब्लिक स्कूल समिति।
2. संस्था का पूरा पता : मौहल्ला किसरौल निकट शुक्लों का कुआं थाना नागफनी, मुरादाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद उ0प्र0–244001
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य

1 क्षेत्र में छात्र एवं छात्राओं के अध्ययन हेतु शिक्षा का प्रचार करना।

2 छात्र–छात्राओं के अध्ययन हेतु निःशुल्क पुस्तकालय वाचनालय आदि की स्थापना करना।

3 गरीब छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति आदि की सहायता करने में सहयोग देना।

4 छात्र छात्राओं की शिक्षा संबंधी सुविधाओं को प्रदान करना।

5 विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के बालक/बालिकओं के शैक्षिक विकास हेतु मदरसों/स्कूल, कालिजों की स्थापना कर संचालन करना तथा हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दू, अरबी, फारसी आदि विषयों शिक्षा प्रदान करना तथा मुस्लिम बच्चों को दीनी व दुनियावी तालिम प्रदान करना।

6 क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था हेतु निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय, प्रबन्धकीय विद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना।

7 समाज के सभी धर्मो व समुदायों के शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन करना एवं जन कल्याण के कार्य करना।

8 विद्यार्थियों को सुशील, चरित्र वान व स्वलम्बी बनाने के लिये छात्रावास स्थापित करना। उनकी व्यवस्था करना।

9 छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना तथा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों व छात्र/छात्राओं के विकास हेतु कम्प्यूटर, सी0सी0सी0ओ0लेवल एवं टाईप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।

10 गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करना तथा उनको शिक्षा सम्बन्धी पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

11 असहाय बच्चों के शैक्षणिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना, स्वास्थ्यविरोधी रोगों से छुटकारा दिलाने हेतु निशुल्क स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों में सहयोग देना। चिकित्सीय शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।

12 निराश्रित महिलाओं, वृद्धों के लिए नारी सुलभ उद्योग का निशुल्क प्रशिक्षण एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

13 विकलागों के लिए निशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा विकलागों को निशुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरणों की व्यवस्था करना।

14 समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे बाल विवाह दहेज प्रथा बाल श्रम मद्यपान वैश्यावृत्ति महिला शोषण छुआ छूत ऊँच – नीच आदि का उन्मूलन करने का प्रयत्न करना।

15 पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए अभ्यारण बनाना एवं उनके उपचार हेतु निशुल्क चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना।

16 गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए निशुल्क आवास सुलभ शैचालय ग्रामीण सडकों का निर्माण करना या पूर्व निर्मित सडकों में आवश्यक सुधार करना।

17 जनकल्याण एवं समाजोत्थान कार्य करने हेतु संस्था के अन्तर्गत उपसमितियों का गठन करना, जिसके अन्तर्गत भारत/राज्य विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।

18 समाज के विकास हेतु विज्ञान एवं साहित्य कलां के विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना करना, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार से कार्य करना।

19 जनता को स्वास्थ्य समिति परिवार से लाभ छोटा परिवार गर्भनिरोधकों का प्रयोग संक्रामक रोगों का निवारण एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना भारत राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनओं के सफल संचालन की व्यवस्था करनां एवं उनका प्रचार प्रसार करना।

20 अपारम्परिक उर्जा एंव स्त्रोंतों जैसे गोबर गैस सौर पवन उर्जा आदि पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन करना एंव उनके क्रियान्वयन में सहयोग करना तथा उनकी स्थापना करना।

Simran A Alam N-Alam

फरहीन

कैसर आलम Kaif Alam

चमन महजबीं

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

21 कृषि उपज को बढाने हेतु कृषि प्रोन्नत कार्यक्रम जैस उन्नत सिंचाई के साधन, उन्नत बीच तकनीकी पर आधारित कृषि आधारित कार्यक्रमों को संचालित कर उन्हें क्रियान्वित करना।

22 समाज के पिछडे हुए उपेक्षित अल्पसंख्यक/अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/ आर्थिक, विकास हेतु प्रोत्साहन देना।

23 कुष्ठ उन्मूलन, परिवार कल्याण पल्स पोलियों ,टी0बी0, मलेरिया, हैपेटाइटिस एवं एड्स के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना एवं कार्यक्रमों का संचालन व प्रचार–प्रसार करना।

24 बाल विकास, महिला कल्याण तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिये निशुल्क टीकाकरण स्वास्थ्य परीक्षण केंन्द्रों व नेत्र परीक्षण शिवरों आदि का आयोजन करना एवं पिछडे हुऐ युवा जनों के लिये प्रमोंदगृह, आरोग्य मंदिर और बौधिक विकास हेतू पुस्तकालयों वाचनालयों, व्यायाम शालाओं, क्रीडा स्थलों योग केन्द्रों व घ्यान केन्द्रें आदि की व्यवस्था कर संचालित करना।

28 निराश्रित महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धों के लिए आश्रय स्थलों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

26 शारीरिक मानसिक एवं विकलागों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान और उन्हें आत्म निर्भर बनाना।

27 विशेष रूप से सभी वर्गो के बालक/बालिकाओं की शिक्षा के प्रबन्ध के लिए संस्कृत विद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना।

28 महिलाओं को सिलाई, कढाई, बुनाई, मेहदी इत्यादि का प्रशिक्षण देना।

29 स्वंय सहायता समूहों, लिंकेज व समूहों के माध्यम से युवक/युवतियों के विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड, हस्तशिल्पियों, सिपफा, कौशल विकास आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना व उन्हें क्रियान्वित कराना।

30 अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछडे समुदायों के लिये कुटीर उद्योगें की स्थापना करना।

31 तकनीकि एवं शैक्षिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों पिछडो एवं बेसहारा बच्चों की प्रवेश भागीदारी सुनिशिचत कराना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

32 स्वंय सहायता समूहों, लिंकेज व समूहों के माध्यम से युवक/युवतियों के विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड, हस्तशिल्पियों, सिफ्सा, कौशल विकास आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन करना व उन्हें क्रियान्वित कराना।

33 महामारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास करना तथा बचाव हेतु सामाजिक दूरी एवं मास्क इत्यादि का उपयोग करना व भविष्य मे हो सकने वाली आर्थिक परेशानी का मुकाबला करने हेतु फिजूल खर्ची से बचना तथा स्व बचत को प्रोत्साहित करना।

34 पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए अभ्यारण बनाना एवं उनके उपचार हेतु निशुल्क चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना।

35 मद्य निषेध तथा नशीली दवाओ के निवारण नशा उन्नमूलन अस्पतालो की स्थापना एवं संचालन करना मद्य निषेध तथा नशीली दवाओ की मांग को कम करने के लिये सामुदायिक भागीदारी तथा जनसहयोग को बढाना एवं नशा उन्मूलन सचल केन्द्रो की भी निशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।

36 क्षेत्र में सभी को साफ सफाई का ध्यान देने तथा खुद गंदगी न करने व दूसरों को भी गंदगी न करने देने का प्रचार प्रसार करना।

37 संस्था के उद्देश्य सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अन्तर्गत होगें।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद
30/04/2024

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : न्यू मॉर्डन पब्लिक स्कूल समिति।
2. संस्था का पूरा पता : मौहल्ला किसरौल निकट शुक्लों का कुआं थाना नागफनी, मुरादाबाद तहसील व जिला मुरादाबाद उ0प्र0–244001
3. संस्था का कार्य क्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होगें।

5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग–

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 10000/–रू0 या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति दान मे एकमुश्ता देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

विशिष्ट सदस्य : जो व्यक्ति संस्था का 5000/– रूपये या इतने मूल्य की सम्पत्ति एकमुश्त देगा वह संस्था का विशिष्ट सदस्य होगा।

साधारण सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को 1000/–रू0 प्रति वर्ष सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।

6– सदस्यता की समाप्ति
1– सदस्य की मृत्यू हो जाने पर।
2– सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3– सदस्यता शुल्क समय से जमा न करने पर।
4– लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
5– न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

7– संस्था के अंग–
अ– साधारण सभा
ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

8– साधारण सभा –
1. **गठन**– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिला कर किया जायेगा।
2. **बैठक**– साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रति वर्ष में चार बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।
3– **सूचनावधि**– साधारण सभा की बैठक की सुचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।
4. **गणपूर्ति** – साधारण सभा का कोरम 2/3 पर्याप्त होगा। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।
5. **साधारण सभा के कर्तव्य अधिकार** –
   1– वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
   2– वार्षिक बजट पास करना।
   3– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।

(Stamp: कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मुरादाबाद उ० प्र०)

Simran A.Alam N. Aly महजबीं चमन
फरहीन कैसर आलम Kaif Aly

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

9. प्रबन्धकारिणी समिति :– 1–गठन– प्रबन्धककारिणी समिति का गठन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा जिसकी संख्या कम से कम 7 व आवश्यकतानुसार बढायी व घटायी जा सकती है किन्तु यह न्यूनतम सीमा के अन्तगर्त होगी।

2– बैठक– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी।

3– सूचना अवधि – प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

4– कोरम– कुल संख्या का 2/3 कोरम पर्याप्त होगा।

5– रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सदस्यों द्वारा की जायेगी।

6– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य–

1– वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
2– वार्षिक बजट तैयार करना।
3– वार्षिक अधिवेशन की तिथि तय करना।
4– संस्था हेतु ऋण, दान – अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।
5– संस्था के उददेश्यों की पूर्ति हेतु संस्था की सम्पत्ति को बन्धक रखने हेतु अनिवार्य सहमति प्रदान करना।

कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल गठन की तिथि से पाँच वर्ष के लिए होगा।

10– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य –

अध्यक्ष
1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठको के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा सौंगे गये कार्य करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

प्रबन्धक /मंत्री

1. किसी भी कार्यवाही का संचालन करना।
2. पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
3. सस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. संस्था के समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना।
5. संस्था के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना।
6. संस्था में कर्मचारियों आदि की नियुक्ति व निष्कासन करने हेतु अनिवार्य संस्तुति देना।
7. संस्था हेतु दान अनुदान, ऋण प्राप्त करना।
8. संस्था का पत्र व्यवहार करना।
9. संस्था के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

उपप्रबन्धक/उपमंत्री :– प्रबन्धक/मंत्री की अनुपस्थिति में प्रबन्धक/मंत्री द्वारा सौपें गये कार्यो का निर्वाहन करना।

कोषाध्यक्ष

1. आय –व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. संस्था के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

लेखानिरीक्षक : संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण करना तथा संस्था के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

11. नियमों में परिवर्तन :– संस्था के नियमों में परिवर्तन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत साधारण सभा के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था का कोष :– संस्था का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा। संस्था का खाता प्रबन्धक/मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किसी एक प्रबन्धकारिणी सदस्य के द्वारा खोला जायेगा जिसका संचालन उक्त तीन में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालन किया जायेगा।

13. लेखा परीक्षण :– संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण संस्था द्वारा नियुक्त आडीटर से प्रति वर्ष कराया जायेगा।

Simran N. Ab
फरहीन A.Alam चमन
फैसल आलम Kaif Alam महजबी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

14. अदालती कार्यवाही :– संस्था के समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरादायित्व संस्था के प्रबन्धक/मंत्री का होगा।

15. अभिलेख
1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेंडा रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

16. विघटन : संस्था के विघटन एवं विघटित संम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि. एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक–

सत्यप्रतिलिपि हस्ताक्षर

Simran

फरहीन

A Alam N. Ali

कैसर आलम Kaif Aly

पवन महजबी

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद उ० प्र०

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उ० प्र०, मुरादाबाद

30/04/2024